BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 665 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Jagan Prasad Tehriya **.... Applicant**

Versus

State of U.P. & Ors. **.... Respondents**

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 2, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)	1- 5
2.	**ANNEXURE- R2/1** True copy of letter dated 10.02.2026.	6
3.	**ANNEXURE- R2/2 and 3** True copy of letter dated 06.03.2026 and letter dated 28.01.2026	7 -10
4.	**ANNEXURE- R2/4** A true copy of the letter no.-1002/L-294/2026 dated 27.02.2026	11
5.	**ANNEXURE- R2/5** A true copy of the letter no.-447/D/EE-2/26 dated 07.03.2026	12-19

DATE: 10/03/2026
NEW DELHI

Aditya Vaibhav Singh

THROUGH
ADITYA VAIBHAV SINGH
COUNSEL FOR UPPCB/RESPONDENT-2
A-394, LGF, DEFENCE COLONY
NEW DELHI

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 665 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Jagan Prasad Tehriya .... Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. .... Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Amit Mishra aged about 45 years, S/o Shri D.P Mishra presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Agra, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That in the present matter the grievance of the applicant is against illegal felling of trees, illegal construction and encroachment in the ecological sensitive zone of Agra District, particularly, around the Taj Mahal and along Agra-Gwalior Highway. The applicant has further alleged that the Agra Development Authority is constructing kiosks, paved

NOTARIAL
NOTARIAL
NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt. AGRA Regn No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA
S.No. 060/2026 10/3/2026

paths, and brick-cement structures in the 100–200-year-old Shahjahan Park situated between the Taj Mahal and Agra Fort.

3. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) issued notice on 23.12.2025 and directed the parties to file their replies.

4. That in compliance of the above directions of this Hon'ble Tribunal, the UPPCB vide its letter no.-960/L-294/2026 dated 10.02.2026 has requested the Divisional Director, Social Forestry Division, Agra to inspect the site in question and provide a detailed inspection report along with factual status, number of trees, species, condition of trees, details of cutting/damage to trees, status of permission and details of related departmental action.

True copy of letter dated 10.02.2026 is annexed herein as **Annexure-R2/1.**

5. In pursuance to the above letter dated 10.02.2026, a letter no.-4453/35-3 Agra dated 06.03.2026 along with the information provided by the Municipal Corporation, Agra vide its letter no.-259/D/Garden/2025 dated 28.01.2026 has been sent by the Divisional Director, Social Forestry Division, Agra.

True copy of letter dated 06.03.2026 and letter dated 28.01.2026 is annexed herein as **Annexure-R2/2 and Annexure-R2/3.**

NOTARY
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt - AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27

6. That vide its letter dated 28.01.2026, contained as Annexure R2/3, the Municipal Corporation, Agra has informed that to achieve the target of tree plantation set by the State Government, every year, various trees are planted at various places in Agra city. It is further informed that an eco-green point has also been developed at the site opposite to the Defence Land in Madhu Nagar wherein about 1796 trees/plants have been planted. It was also informed that the Municipal Corporation, Agra has not felled any tree at the said site, and the planted trees are still in their original state. Further, a structure has also been made to store the soil, manure, water retention and protection from animals.

7. That further the UPPCB vide its letter no.-1002/L-294/2026 dated 27.02.2026 has requested to the Vice Chairman, Agra Development Authority, Agra to inspect the concerned site in question and to provide the factual status, number of trees, species, condition of trees, status of permission and details of related departmental action.

A true copy of the letter no.-1002/L-294/2026 dated 27.02.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/4**.

8. That in continuation to the above letter, the Agra Development Authority, Agra vide its letter no.-447/D/EE-2/26 dated 07.03.2026 has sent a report with regards to certain points whereby it is informed that for the protection of plants at Shahjahan Park and also for verification/examination of ASI perimeter and composite

SNo(M) 860/2026
10/3/2026
NOTARY
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 232/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

plan, a committee was constituted by the Divisional Commissioner Agra on 10.10.2025. The officials of the constituted joint committee have undertaken the site visit and conducted the inspection on 27.10.2025 and submitted its report on 02.12.2025. The recommendation made by the joint committee is as follows:

i. For the work of thematic transformation at Shahjahan Park, it would be appropriate to get the work of sculpture construction done by applying to the Competent Authority/National Monument Authority as per the rules and after obtaining the required No Objection Certificate.

ii. Due to the excavation/work done on the spot for the sculptures construction, the roots of the trees are visible, for which it seems appropriate to get the work done as per the rules on the basis of the environmental assessment report only after getting the environmental assessment done from an organization recognized by the Government of India/Government of Uttar Pradesh, so that there is no harm/damage to the trees.

Apart from the above, it was also informed that from the date of inspection carried out by the constituted joint committee on 27.10.2025, the construction work at the site in question is completely stopped.

A true copy of the letter no.-447/D/EE-2/26 dated 07.03.2026 along with its respective annexure is being annexed herewith and marked as **Annexure-R2/5**.

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt - AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

9. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

10. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at AGRA on this the 10 day of MAR, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

M/860/2026
Explained to Shri Amit Mishra, Regional Officer, UP Pollution Control Board Agra
Read by
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 10/3/2026
At Agra
Identified by Self

10/3/2026

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. Agra
Regd No 232302
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

e-mail-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –.....960.....⁄एल–294⁄2026 **दिनांक –.....10.....⁄02⁄2026**

मु०एन०जी०टी०प्रकरण/सम्बद्ध

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. सं0–665⁄2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपर्युक्त OA में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रकरण में वृक्ष कटान से संबंधित तथ्यों पर प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया जाना है। उक्त वाद जनपद आगरा से सम्बन्धित है। शपथपत्र प्रतिवादी सं0-02 एवं 04 की ओर से दाखिल होना है, वाद में प्रतिवादी सं0–02 अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ प्रतिवादी सं0–04 जिलाधिकारी, आगरा है।

उपर्युक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–665⁄2025 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित स्थल का निरीक्षण कर विस्तृत निरीक्षण आख्या (Inspection Note), तथ्यात्मक स्थिति (Factual Inputs), वृक्षों की संख्या, प्रजाति, स्थिति, किसी भी प्रकार के कटान⁄क्षति का विवरण, अनुमतियों की स्थिति तथा संबंधित विभागीय कार्यवाही का विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सक्षम मा० अधिकरण के समक्ष समुचित एवं तथ्याधारित शपथपत्र दाखिल किया जा सके। प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 12.03.2026 नियत है।

अतः उपर्युक्त सूचना⁄निरीक्षण आख्या समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. निजी सहायक, सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 4453 / 35–3 आगरा, दिनांक, 06 मार्च, 2026

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड,
आगरा।

विषय :– मा० राष्ट्रीय अधिकरण में योजित ओ०ए० सं०–665 / 2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.01.2026 के सम्बन्ध में।

संन्दर्भ आपका पत्रांक– 960 / एल–294 / 2026 दिनांक 10.02.2026

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन में कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के पत्रांक 259 / डी / उद्यान / 2026 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है, जो संलग्न कर अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

कार्यालय, नगर निगम आगरा।

पत्रांकः– 259/डी/उद्यान/2025

दिनांकः– 28.01.2026

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

विषय :– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०–665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.2025

महोदय,

आपके कार्यालय स्वकीय पत्रांक 3188/35–3 आगरा, दिनांक 06.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र में आगरा जनपद में ताजमहल के समीपवर्ती अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण कर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने तथा आगरा–ग्वालियर हाईवे पर हरियाली नष्ट कर सेल्फी प्वाइंट विकसित किये जाने व मा० अधिकरण द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित आदेश दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रतिवादीगणों को 04 सप्ताह के भीतर रिप्लाई/जबाव शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किये जाने व आदेश के साथ निर्देशित किया गया है जो कि बिन्दु संख्या–5 में प्रेषित है–

5. Further allegation of the applicant is that the Agra Municipal Corporation is illegally raising concrete structure for "selfie point on the green beltahead of Madhu Nagar on Gwalior Road" The applicant has also alleged that numerous private individuals have cut trees and erected buildings or the mandatory green belt on both sides of the Highway from the 509 Arm Base Workshop to Saiya and the L&T has also indiscriminately cut th trees without obtaining necessary permissions in the metro construction work.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण हेतु दिये गये लक्ष्य अनुरूप शहर के विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाता है। मधु नगर में डिफेन्स लैंड के सामने स्थित स्थल पर **इकोग्रीन प्वाइंट** विकसित किया गया है, जहाँ 1796 वृक्ष एवं पौधें लगाये गये जो कि निम्नवत् है–

क्र० सं०	पौधों की प्रजाति	कुल संख्या	पौधों से होने वाले लाभ
1	डेटपाम	28	डेटपाम का पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्रीनहाउस गैसों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है।
2	बुद्ध बेली	340	बुद्ध बेली प्लांट के पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे आसपास का वातावरण स्वस्थ और स्वच्छ रहता है।
3	फिकस पान्डा	1030	फिकस की अन्य किस्मों की तरह, यह धूल कणों (dust and particulates) को फंसाकर वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।
4	साइप्रस गोल्डन	30	गोल्डन साइप्रस एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे घर के अंदर या बाहर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
5	यूफोरबिया मिली	100	यह पौधा पानी जमा करने वाले मोटे, कांटेदार तनों के कारण शुष्क परिस्थितियों में भी अच्छी तरह पनपता है। क्योंकि इसे बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। एयर क्वालिटी में सुधार करने और प्रदूषकों को फिल्टर करने में मदद कर सकता है।
6	फाइकस मोकलामे	100	हवा को साफ करने में माहिर है। यह हवा से फॉर्मेल्डिहाइड (formaldehyde) और बेंजीन जैसे हानिकारक प्रदूषकों (toxins) को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करता है।
7	जेट्रोफा	49	पर्यावरण के लिए एक अत्यंत लाभदायक पौधा है। यह न केवल बायोडीजल का स्रोत है, बल्कि बंजर भूमि को सुधारने और प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
8	फर्केरिया	9	यह मुख्य रूप से एक कठोर और कम देखभाल वाला पौधा है। यह पौधा कैडमियम (Cd) जैसी भारी धातुओं से दूषित मिट्टी को साफ करने (phytoextraction) की क्षमता रखता है।
9	फॉक्सटेल पाम	2	फॉक्सटेल पाम एक उत्कृष्ट एयर प्यूरीफायर है। यह हवा से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को हटाकर और CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे आसपास का वातावरण स्वच्छ बनता है।
10	रेड माचेरा	82	हवा को साफ करने में मददगार है। यह फॉर्मलडिहाइड (formaldehyde), बेंजीन और अन्य

			हानिकारक विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करता है। यह एक 12 महीने हरा-भरा रहने वाला हार्डी पौधा है।
11	फाइकस स्टारलाइट	26	यह पौधा हवा से फॉर्मलाडेहाइड (formaldehyde), बेंजीन (benzene) और ट्राइक्लोरोएथिलीन (trichloroethylene) जैसे हानिकारक विषैले पदार्थों को हटाता है।
कुल		1796	

(फोटोग्राफ संलग्न है) जिससे पर्यावरण को लाभ होगा एवं सुन्दरता से शहर को हरित शहर के रूप में दर्शाया जा सकेगा।

उक्त स्थल पर नगर निगम आगरा द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया गया है, लगे हुये वृक्ष यथास्थित है (कार्य से पूर्व की फोटोग्राफ संलग्न है)। पोधों को रोपित किये जाने हेतु मिटट्री भराव, खाद, पानी को रोकने व जानवरों से सुरक्षित रखने हेतु एक ढाँचा तैयार किया गया है, जिससे वृक्षों का रख–रखाव सुरक्षित प्रकार से किया जा सकें। तद् दिनांक तक उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा 1,796 वृक्ष एव पौधें रोपित किये गये है।
(फोटोग्राफ संलग्न)

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

1. मंडलायुक्त/अध्यक्ष टी0टी जेड0 प्राधिकरण आगरा महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी आगरा महोदय को सादर सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

BEFORE

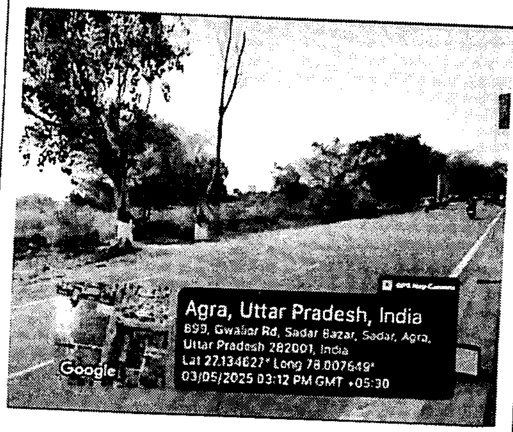

AFTER

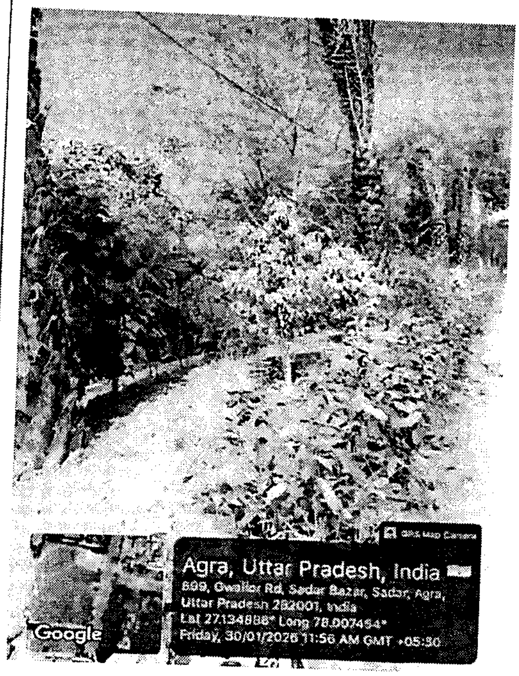

31/1

e-mail-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –1002/एल–294/2026 दिनांक –27/02/2026

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

महत्वपूर्ण/मा० एन०जी०टी० प्रकरण

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. सं0–665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपर्युक्त OA में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रकरण में वृक्ष कटान से संबंधित तथ्यों पर प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया जाना है। उक्त वाद जनपद आगरा से सम्बन्धित है। शपथपत्र प्रतिवादी सं0-02 एवं 04 की ओर से दाखिल होना है, वाद में प्रतिवादी सं0–02 अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ प्रतिवादी सं0–04 जिलाधिकारी, आगरा है। प्रतिवादी संख्या–11 आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा है।

उपर्युक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–665/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित स्थल का निरीक्षण कर विस्तृत निरीक्षण आख्या (Inspection Note), तथ्यात्मक स्थिति (Factual Inputs), अनुमतियों की स्थिति तथा संबंधित विभागीय कृत कार्यवाही का विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सक्षम मा० अधिकरण के समक्ष समुचित एवं तथ्याधारित शपथपत्र दाखिल किया जा सके। प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 12.03.2026 नियत है।

अतः उपर्युक्त सूचना/निरीक्षण आख्या समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि। ई-मेल द्वारा

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

D;drive/2017/other work

 Executive Engineer 07.3.2026

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक 447/D/EE-2/26 दिनांक :– 07/03/26

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.25

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्रांक–3190/35–3 दिनांक 06.01.26, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.25 से सम्बन्धित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र में आगरा जनपद में ताजमहल के समीपवर्ती अवैध निर्माण एवं अवैध अतिकमण कर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने के सम्बन्ध में प्रतिवादीगणों को 04 सप्ताह के अन्दर शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। आदेश का प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैं :–

1. *In this original application (OA), the applicant has alleged illegal felling of trees, illegal construction and encroachment in the ecological sensitive zone of Agra District, particularly, around the Taj Mahal and along Agra-Gwalior Highway.*
2. *The applicant alleges that the Agra Development Authority is constructing kiosks, paved paths, and brick-cement structures in the 100-200 year old Shahjahan Park situated between the Taj Mahal and Agra Fort.*
3. *The Learned Counsel for the applicant submits that in the course of construction pits have been dug up near the roots of century old trees and the green cover have been destroyed and the habitat of birds and butterflies is affected.*
9. *The applicant is directed to supply a copy of the OA to the Learned Counsel for the respondents within 03 days. The said respondents are directed to file the reply affidavit within 04 weeks.*
10. *The oral prayer made by the Learned Counsel for the applicant to implead Agra Development Authority as the respondent no. 11 is allowed.*

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शाहजहां पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए.एस.आई की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान परीक्षण व जांच हेतु मण्डलायुक्त महोदय, आगरा के आदेश सं0–136/डी/ईई–1/25 दिनांक 01.10.25 **(संलग्नक–1)** एवं अनुमोदन दिनांक 09.10.2025 के क्रम में निर्गत पत्र संख्या–175/डी/ई0ई0–2/25, दिनांक 10.10.2025 **(संलग्नक–2)** के माध्यम से समिति गठित की गई। गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.10.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रांक–268/डी/ई0ई0–2/2025, दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से समिति की आख्या मण्डलायुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी **(संलग्नक–3)**। गठित समिति द्वारा दिया गया अभिमत निम्नवत् है :–

"1. शाहजहां पार्क में थीमेटिक ट्रॉसफॉर्मेशन के कार्य हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये, स्कल्पचर निर्माण की कार्यवाही कराया जाना उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. स्कल्पचर्स हेतु मौके पर की गयी भूमि की खुदाई/कार्य के कारण वृक्षों की जड़े दिखाई दे रही है, जिसके लिए भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था से पर्यावरण आंकलन (Environment Assessment) कराये जाने की उपरान्त ही पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट (Environment Assessment Report) के आधार पर नियमानुसार कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे वृक्षों को किसी भी प्रकार की कोई हानि/नुक्सान न हो।"

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि गठित समिति द्वारा दिनांक 27.10.2025 को किये गये स्थलीय निरीक्षण से वर्तमान तक स्थल पर कार्य पूर्ण रूप से बन्द है।

संलग्नक :– <u>यथोपरि।</u>

Digitally signed by
Shraddha Shandilyayan
Date: 07-03-2026
16:17:28

सचिव
आ.वि.प्रा., आगरा

प्रतिलिपि :–

1. मण्डलायुक्त महोदय/अध्यक्ष–टी.टी.जेड अथॉरिटी, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष महोदया, आ.वि.प्रा., आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा को उनके पत्र सं0–1002/एल–294/2026 दिनांक 27.02.2026 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
आ.वि.प्रा., आगरा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

पत्रांक 136/सी/रि-1/2025 दिनांक 01-10-2025

आदेश

शाहजहां पार्क में थीमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कार्य के सम्बन्ध में कार्यालय उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा के पत्रांक–1078–82/उद्यान/2025–26/आगरा दिनांक 15.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत उद्यान में लगे पेड़–पौधों को क्षति पंहुचाये जाने विषयक एवं देवाशीष भट्टाचार्य, कालीबाड़ी, आगरा के शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) के नियमानुसार परीक्षण एवं जांच हेतु सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में परीक्षण हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

1.	सचिव, आ0वि0प्रा0	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, आ0वि0प्रा0	सदस्य
3.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए.एस.आई	सदस्य
4.	उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल	सदसय
5.	एस0डी0ओ0, वन विभाग, आगरा	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता, नगर निगम, आगरा	सदस्य

उपर्युक्त गठित समिति स्थल का निरीक्षण करते हुये पौधों के संरक्षण, एस.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का नियमानुसार परीक्षण करते हुये अपनी सुस्पष्ट सुसंगत आख्या दिनांक 10.10.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना अवश्य ही सुनिश्चित करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त

पत्रांक:-136/सी/रि-1/2025 दि0 01-10-2025

प्रतिलिपि:–

1. सचिव।
2. समस्त समिति सदस्यगण।
3. गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :- 175/D/EE-2/25 दिनांक :- 10/10/25

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,

आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा के संलग्न पत्रांक 136/डी/ईई-1/2025 दिनांक 01.10.25 के द्वारा गठित समिति में प्रभारी मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सदस्य संयोजक के रूप में सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 09.10.25 को प्रदान कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार गठित समिति के साथ स्थल का निरीक्षण कराते हुये पौधों के संरक्षण, ए.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का नियमानुसार परीक्षण करते हुये समिति की सुस्पष्ट सुसगंत आख्या एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना अवश्य ही सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(एम. अरून्मोली)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
2. सचिव, आ.वि.प्रा., आगरा।
3. वित्त नियन्त्रक, आ.वि.प्रा., आगरा।
4. अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए.एस.आई., आगरा
5. उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा।
6. एस.डी.ओ., वन विभाग, आगरा।
7. ~~अधीक्षण~~ अभियन्ता, नगर निगम, आगरा।

उपाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

२१ लगान -3

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 268 / डी /EE-2 / 2025, दिनांक : 02 / 12 / 2025

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

विषय : शाहजहाँ पार्क के पौधों के संरक्षण, ए.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का परीक्षण व जाँच हेतु गठित समिति की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय आदेश पत्रांक–136 / डी. / ई.ई.–1 / 2025, दिनांक 01.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कार्य के संबंध में उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा के पत्रांक–1078–82 / उद्यान / 2025–26 / आगरा, दिनांक 15.09.2025 के अन्तर्गत उद्यान में लगे पेड़–पौधों को क्षति पहुँचाये जाने विषयक एवं देवाशीष भट्टाचार्य, कालीबाडी, आगरा के शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 के क्रम में परीक्षण एवं जाँच हेतु समिति गठित कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित समिति की संयुक्त जाँच आख्या मूल रूप में संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

कृपया उपरोक्तानुसार सादर अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक :– संयुक्त जाँच आख्या मूल रूप में।

भवदीया

सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा। 01/12

प्रतिलिपि :– 3/12/25
1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता को आ0का0 हेतु।

3/12/25

सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा। 02

Scanned with OKEN Scanner

शाहजहाँ पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए०एस०आई० की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान परीक्षण व जाँच हेतु गठित समिति की आख्या

दिनांक 27.10.2020 को शाहजहाँ पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए०एस०आई० परिधि एवं कम्पोजिट प्लान के परीक्षण एवं जाँच हेतु मण्डलायुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा सचिव महोदया, आ.वि.प्रा. की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों द्वारा शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रांसफोर्मेशन के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्रीमती श्रद्धा शांडिल्यायन, सचिव, आ.वि.प्रा., आगरा।
2. श्री शिवनाथ सिंह, वित्त नियंत्रक, आ.वि.प्रा., आगरा।
3. श्री डी०पी० यादव, उपनिदेशक (उद्यान), आगरा।
4. श्री अरविन्द मिश्रा, एस०डी०ओ०, वन विभाग, आगरा।
5. श्री एस०सी० मीना, डी०एस०एच०, ए०एस०आई०, आगरा।
6. श्री संजीव कुमार, मुख्य अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
7. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
8. श्री रजनीश पाण्डे, उद्यान अधीक्षक, उद्यान विभाग, आगरा।
9. श्री एस०डी० पालीवाल, सहायक अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
10. श्री राजकपूर, अवर अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
11. श्री राघवेन्द्र सिंह, सर्वेयर, ए०एस०आई०, आगरा।

स्थल निरीक्षण के समय पाया गया कि शाहजहाँ पार्क में कुल 22 स्थानों पर स्कल्पचर्स स्थापित किये जाने थे, जिनमें से मौके पर 19 स्थानों पर ही कार्य प्रारम्भ हुआ है। समिति द्वारा निम्नानुसार स्कल्पर्स का निरीक्षण किया गया–

1. *सन टैम्पल* स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य एवं उक्त के चारों ओर 03 मीटर चौडाई में ग्राउण्ड ग्रीन वॉकिंग पाथ–वे बनाये जाने हेतु ब्रिक टो–वॉल का निर्माण कराया गया है।
2. *गोल्डन पैरागोडा ऑफ नराशयी* स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट फाउण्डेशन एवं कॉलम तथा ब्रिक वॉल का कार्य 01 से 1.5 मीटर ऊँचाई तक किया गया है, साइड में खुदाई का कार्य भी किया गया है, ग्रीन पाथ–वे की टो–वॉल हेतु खुदाई का कार्य किया गया है तथा कुछ जगह पर आंशिक रूप से टो–वॉल डालने का कार्य किया गया है।
3. *ककटिया रूद्राक्ष* स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य करते हुये पी.सी.सी. का कार्य कराया गया है।
4. *नालन्दा महावीरा* स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य करते हुये पी.सी.सी. का कार्य हुआ है।
5. *गोल्डन टैम्पल* स्कल्पचर स्थापित करने हेतु फाउण्डेशन खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, 01 मीटर की खुदाई में पेडों की जड़े आ जाने के कारण खुदाई का कार्य बन्द है।
6. *रंग घर* स्कल्पचर स्थापित करने हेतु फाउण्डेशन खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था।
7. *हवामहल फाउण्डेशन* स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बन्द है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

8. रनकपुर जैन टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बन्द है।
9. रानी का बाग स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
10. केदारनाथ टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
11. हम्पी स्टोन चैनीओट स्कल्पचर स्थापित करने हेतु हल्की खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेडों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
12. सांची स्तूप स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य करते हुये ग्रीन पाथ–वे हेतु नेचुरल ग्राउण्ड लेबिल तक ब्रिक टो वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है। स्थल पर एक स्थान पर पेड की जड़ें आने के कारण टो वॉल का कार्य वहाँ रूकवा दिया गया है।
13. सारनाथ टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
14. राम मंदिर अयोध्या स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ करते हुये ग्रीन पाथ–वे के कुछ स्थानों पर टो वॉल हेतु ब्रिक वॉल का कार्य कराया जाना पाया गया। कुछ स्थानों पर पेड की जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
15. रामेश्वर टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
16. लक्ष्मण टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
17. एलोरा कैलाश टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
18. पार्श्वनाथ टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
19. काशी विश्वनाथ टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

स्थल पर उपस्थित आगरा विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि–

- पूर्व में परियोजना में स्कल्पचर के चारों ओर बनाये जाने वाले पाथ–वे पर पत्थर लगाया जाना था परन्तु संबंधित आर्किटैक्ट द्वारा स्कल्पचर के साथ चारों तरफ प्लेटफार्म बनाते हुये ग्रीन पाथ–वे में परिवर्तित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार स्थल पर निर्माण क्षेत्रफल पूर्व प्रस्तावित 5533.42 वर्गमीटर से घटकर 1265.303 वर्गमीटर रह जाता है।
- प्रश्नगत स्थल पर कुल 22 स्कल्पचर्स का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 03 स्कल्पचर्स

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

आगरा मैट्रो के एलाइनमेन्ट में होने के कारण उनके स्थान परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया जाना है परन्तु अभी तक स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका है। जिससे प्रस्तावित परियोजना में 700.63 वर्गमीटर जमीन प्रभावित होना सम्भावित है, जो कि 1265.303 वर्गमीटर में सम्मिलित है।

- स्थल पर निर्माणाधीन/प्रस्तावित स्कल्पचर्स पार्क को निर्मित मार्ग के लेविल के अनुसार रखा जाना है। जिस हेतु स्थलानुसार नेचुरल ग्राउण्ड लेविल से 0.6 मीटर से 2.0 मीटर तक ऊँचाई पर स्कल्पचर्स लगाया जाना है।
- ए०एस०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि शाहजहाँ पार्क की सीमा से कई राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की संरक्षित सीमा सटी हुई है, 1-Khan-I-Alam's Bagh together with the new tank near the Taj, 2-Entrance gateway to Khan-e-Alam's bagh, 3-Saheli Burj No. 4, west of outer wall round Taj gardens, 4-Tank near the Fatehpuri Masjid on the south-west corner of outer entrance to, 5-Fatehpuri Masjid on south-west corner of outer entrance to the Taj. ऐसी स्थिति में शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्राँसफॉर्मेशन के कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जाए।

समिति का अभिमत :

1. शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्राँसफॉर्मेशन के कार्य हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए, स्कल्पचर निर्माण की कार्यवाही कराया जाना उचित होगा।
2. स्कल्पचर्स हेतु मौके पर की गयी भूमि की खुदाई/कार्य के कारण वृक्षों की जड़े दिखाई दे रही है, जिसके लिए भारत सरकार/उ०प्र० सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था से पर्यावरण आंकलन (Environment Assessment) कराये जाने की उपरान्त ही पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट (Environment Assessment Report) के आधार पर नियमानुसार कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे वृक्षों को किसी भी प्रकार की कोई हानि/नुकसान न हो।

अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा।

एस०डी०ओ०,
वन विभाग, आगरा।

उप निदेशक, उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।

17/11/2025
अधीक्षण पुरातत्वविद्
ए०एस०आई०, आगरा।

मुख्य अभियन्ता,
आ०वि०प्रा०, आगरा।

वित्त नियंत्रक,
आ०वि०प्रा०, आगरा।

सचिव,
आ०वि०प्रा०, आगरा।

Scanned with OKEN Scanner

Gmail

Chirag Sahni <chiragsahni1008@gmail.com>

In Re: Reply by UPPCB in OA No.665/2025

1 message

Chirag Sahni <chiragsahni1008@gmail.com> 10 March 2026 at 17:32
To: Tarun kamra <cummra3@gmail.com>, CSUP@nic.in, secy-moef@nic.in, dmagr@nic.in, ps.pwd@up.gov

Sir,
Please find the attached copy of reply filed by UPPCB in OA No.665/2025.

Regards
Chirag Sahni
Office of Aditya Vaibhav Singh
Counsel For UPPCB

OA6652025 Reply UPPCB for filing.pdf
3519K